न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
41 / 2016	2016 / 0156	05.07.2016	12.05.2022

उनवान प्रकरण

1. भागीरथ पुत्र जगन्नाथ आयु 72 वर्ष
2. मनोहर लाल पुत्र जगन्नाथ आयु 65 वर्ष
3. भोलाराम पुत्र जगन्नाथ आयु 55 वर्ष
4. बनवारी लाल पुत्र जगन्नाथ आयु 45 वर्ष

समस्त जाति मीणा निवासीगण खेत ढाणी रामप्रसादवाली तन् ग्राम घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——प्रार्थीगण

बनाम्

1. मूलचन्द पुत्र भैरूराम आयु 65 वर्ष
2. काशीराम पुत्र भैरूराम आयु 60 वर्ष
3. ओमप्रकाश पुत्र भैरूराम आयु 55 वर्ष

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम सिहोड़ी हाल आबाद खेत ढ़ाणी रामप्रसादवाली तन् ग्राम घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

4. पटवारी हल्का नाथुसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible]

उपस्थितिः—

1. श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, अभिभाषक –प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री सुभाष कुमार वर्मा, अभिभाषक – अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से।

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 462 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 468/4749 रकबा 1.41 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.14 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम घाटमदासवाली पटवार हल्का नाथुसर गिरदावर हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में जगन्नाथ, सेडूराम, सुरजाराम पिता रणजीत कौम मीणा सा. सिहोडी के नाम अकिंत है। खातेदार जगन्नाथ व सेडूराम फौत हो चुके है। जिनका सजरा खानदान अंकित किया गया है। उक्त खातेदारो ने अपने जीवनकाल में ही अपनी भूमियो का बाह्मी बंटवारा अच्छी बुरी व कम अधिक उपजाऊ क्षमता के आधार में कर लिया था। जिसमें भूमि खसरा नम्बर 486/4749 व खसरा नम्बर 462 व 463 को मिलाकर बांटकर अलग–अलग टुकडिया कर सींव नींव कायम कर कब्जा काश्त प्रारम्भ कर लिया। जिसमें प्रार्थीगण के पिता जगन्नाथ को खसरा नम्बर 468/4749 का कब्जा बंटवारे में आये अनुसार दिया गया। जिसमें प्रार्थीगण ने अपने पुख्ता व खाम मकान बनाकर आबाद काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमियां खसरा नम्बर 462, 463 व 468/4749 की बनाई टुकडियो में आने जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 461, 462 की सीमा पर दक्षिण से उत्तर एकमात्र पगडण्डी है जो वक्त बुजुर्गान से चली आ रही है। जो खसरा नम्बर 461 की पूर्वी सीमा व खसरा नम्बर 473 की पश्चिमी सीमा पर से जाती है। जिसको भी अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.06.2016 को खाम डोल लगाकर बंद कर दिया तथा समझाने पर भी नही खोला तथा अप्रार्थीगण का कहना है कि उक्त पगडण्डी राजस्व रिकार्ड में अकिंत नहीं होने से वे इसे बंद ही रखेगें। जबकि गांव के मौजिज व्यक्तियो ने अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 को काफी समझाया किन्तु उक्त लोग नहीं माने। जब उन्हें सेटेलाईट से खीचे गये नक्शे में उक्त पगडण्डी दिखाई तो कहने लगे कि हमें इस पगडण्डी के बदले अपनी भूमि में से उक्त लम्बाई–चौड़ाई की भूमि देवो। इस पर प्रार्थीगण [illegible] के व्यक्तियो ने कहा कि पगडण्डी तो वर्षो से चालु है अगर आपको रास्ते के बदले भूमि [illegible] है तो आप टैक्टर व ऊंट लड्डा जाने का रास्ता देओ व उसके माप की भूमि ले लो कि[illegible] अप्रार्थीगण नहीं माने व पगडण्डी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

चालु नहीं किया। प्रार्थीगण व उनके सहखातेदार को अपनी भूमियो में आने जाने फसल काश्त करने हेतु टैक्टर ले जाने व फसल की उपज व चारा लाने ले जाने हेतु कोई रास्ता नहीं हैं। केवल मात्र पगडण्डी का रास्ता था तथा कृषि भूमि को काश्त करने हेतु टैक्टर वगैरह व पशुओं को लाने ले जाने, कृषि उपज व चारा ले जाते तब सीजन में अप्रार्थीगण मना नहीं करते थे व खेती हो जाने पर पैदल पगडण्डी से आवागमन होता था क्योंकि प्रार्थीगण व उनके सहखातेदारों की भूमि में आने जाने व काश्त करने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं था, न ही अब खाम डोल को पांतने की बात पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होने से अप्रार्थीगण ने उक्त आवागमन प्रार्थीगण का बिलकुल बन्द कर दिया अर्थात अप्रार्थीगण व उनके परिवारजनों ने उक्त आवागमन बंद कर प्रार्थीगण के जनजीवन को संकट में डाल दिया हैं जबकि प्रार्थीगण जो अपनी भुमि में परिवार सहित रहते हैं व पशुधन रखते हैं को बहुत परेशानी हो रही हैं तथा स्कूल जाने वाले बच्चो का निकलना भी दुभर हो गया हैं तथा महिलाओं एवं बीमार व्यक्तियों को काफी परेशानी आने जाने में हो रहीं हैं। प्रार्थीगण व उनके परिवार के सामने उक्त आवागमन बंद हो जाने से गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया तो प्रार्थी मनोहरलाल के पुत्र श्रीराम ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय को आवेदन प्रस्तुत कर उक्त रास्ता चालू करवाने की गुहार की किन्तु कोई कार्यवाही उक्त रास्ता चालू करवाने की नही होने से प्रार्थीगण व उनके परिजनों को सख्त हकतल्फी हैं तथा उक्त रास्ता पगडण्डी तत्काल चालू नहीं होने से प्रार्थीगण व उनके परिजन व पशुधन गम्भीर संकट में है तथा वर्तमान में फसल काश्त करने में भी दिक्कत आ रहीं हैं तथा उक्त रास्ता टैक्टर व ऊंट गाड़ी का नहीं मिलने पर प्रार्थीगण व उनके परिवार जन बर्बाद हो जायेंगे। इस रास्ता के नहीं मिलने पर प्रार्थीगण चारों तरफ से हताश व निराश हो जाने से माननीय न्यायालय की शरण में आयें हैं। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट की शर्तो की पालना करने को तैयार हैं। इसलिए प्रार्थीगण व उनके सहकाश्तकारों को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 468/4749 तन् ग्राम घाटमदासवाली पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर में आने जाने व कृषि साधन ट्रैक्टर, उंट लढ्ढा व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा [illegible]3 में से 10 फुट चौड़रई का रास्ता खसरा नम्बर 461 की पूर्वी सीमा पर [illegible] नम्बर 473 में से उक्त खसरा नम्बर की पश्चिमी सीमा पर उक्त पगडण्डी को शामिल करते हुए आमद रफद हेतु चालू करवाये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तथा उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अकंन कर अमल दरामद करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री सुभाष कुमार वर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एंव जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2016 को पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 की तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गईं। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 386/राजस्व/2016 दिनांक 14.09.2016 के द्वारा पटवारी हल्का नाथूसर से जॉच करवाई जाकर जॉच रिपोर्ट भिजवाई गई है। इसके उपरान्त वकील अप्रार्थीगण ने पुनः भू.अभिलेख निरीक्षक या तहसीलदार से पुनः जॉच रिपोर्ट मॅंगवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसकी पालना में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त मउ से दिनांक 26.04.2017 से पुनः जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3107/राजस्व/2017 दिनांक 14.12.2017 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें भू.अभिलेख निरीक्षक मउ ने अवगत कराया है कि ग्राम घाटमदासवाली के खसरा नम्बर 468/4749 में प्रार्थीगण के आवासीय मकानात बने हुये है। जिनमें पहुंच के लिए मौके पर स्थाई रूप से कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 468/4749 में पहुॅचने के लिए नक्शे में डोटेड जगह खसरा नम्बर 473 के मध्य से उत्तर–दक्षिण रास्ता दिया जाना प्रस्तावित करते हुए लम्बाई 73 मीटर व चौड़ाई 3.04 मीटर क्षैत्रफल 222 वर्गमीटर भूमि है तथा प्रस्तावित रास्ता पक्की डामर सड़क खसरा नम्बर 474 से लिंक है। ग्राम घाटमदासवाली की डीएलसी दर की फोटो प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण के लिए उक्त रास्ता सुविधाजनक न होकर अतिआवश्यक है। प्रार्थीगण के आवास या खेत तक पहुॅचने के लिए स्थायी [illegible] कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने बाबत अवगत कराया है। मौके पर [illegible] अंकन संलग्न नक्शें में लाल स्याही से किया गया है। वही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में स्थित हैं।प्रार्थीगण के प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 461 व 473 की मध्य सीमा के सहारे चाहा गया है। जहॉ मौके पर मकान व आबादी आबाद है। प्रस्तावित रास्ता के अन्तर्गत ग्राम घाटमदास के भूमि खसरा नम्बर 473 में से 0.0222 हैक्टर भूमि आती है। प्रस्तावित रास्ता को नक्शा ट्रेस व नक्शा पुश्त पर लाल स्याही से दर्शित किया गया है। नजरी नक्शा अनुसार रास्ता हेतु भूमि प्रस्तावित किया है।

प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रकरण को बहस में लिया जाकर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित कथनों को बार–बार दोहराते हुए अवगत कराया कि प्रार्थीगण की भूमियों में आवागमन व कृषि जोत हेतु आने जाने बाबत मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगण को नजदीकी निकटतम व लघुत्तम रास्ता भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त मउ व तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दिये जाने का निवेदन किया। जिसके लिए प्रार्थीगण रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमियों का वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों के दुगुनी दरों से देय होने वाले प्रतिकर राशि का भुगतान करने को भी तैयार होने बाबत अवगत कराया है।

वही वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने दौराने बहस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को बार–बार दोहराते हुए अवगत कराया कि खसरा नम्बर 462, 463 व 468/4749 में आने जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 461 व 462 सीमा पर दक्षिण से उत्तर की तरफ पगडण्डी कभी भी खसरा नम्बर 461 की पूर्वी सीमा व खसरा नम्बर 473 की पश्चिमी सीमा पर से कभी नहीं जाती थी न जाती है। प्रार्थीगण व उसके खातेदारों को अपनी भूमियों में आने जाने व फसल काश्त करने हेतु ट्रैक्टर ले जाने व फसल की उपज व चारा को ले जाने हेतु प्रार्थीगण के बुजुर्गो के वक्त से प्रार्थीगण को लगातार रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है। उक्त रास्ता से उनका आवागमन जारी है। प्रार्थीगण को किसी अन्य रास्ते की आवश्यकता कभी नहीं थी। प्रार्थीगण व उनके बुर्जुगान के मकानात [illegible] ढोड़ी के वार्ड नम्बर 4 मीणों का मौहल्ला में स्थित है। जिनके मकान नं. 79, 83, 84 [illegible] एवं उनके परिवारजन के नाम वोटरलिस्ट में दर्ज है। प्रार्थीगण के मंदिर, स्कूल, पा[illegible] की सुविधा व शमशान घाट भी ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सि[illegible]
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

सिहोड़ी में स्थित है जो खसरा नम्बर 462, 463 व 468/4749 के उत्तर दिशा में मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वहॉ से ही प्रार्थीगण पुराने रास्तो से जो निरन्तर जारी है से होकर आवागमन करते आ रहे है। प्रार्थीगण के मकानात व कृषि भूमि का दक्षिण दिशा में कोई लेना देना नहीं था न है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। इसलिए आवेदकगण का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण ने किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। बहस वकुलाय पर सगौर मनन किया। प्रकरण में पक्षकारान् से कई मर्तबा उनसे रास्ते बाबत सहमति दिये जाने के क्रम में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के निस्तारण हेतु सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में आपसी समझाईस की गईं लेकिन बावजूद समझाईस के भी पक्षकारान् में कोई सहमति नहीं बन पाई। अप्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन या जमीन के बदले जमीन देने की किसी भी सूरत में रास्ता नहीं देने बाबत अवगत कराया गया। जिस पर उपस्थित अप्रार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एंव राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया गया। फिर भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने बाबत किसी प्रकार की सहमति व्यक्त नहीं की गई। जिस पर उपस्थित पक्षकारान् को राज्य सरकार द्वारा बनाये गये राजस्व कानूनों में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत ही प्रकरण में निर्णय किये जाने बाबत अवगत कराया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात् व भू.अभिलेख निरीक्षक मउ व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3107/राजस्व/2017 दिनांक 14.12.2017 के द्वारा प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट्स के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 [illegible] न काश्तकारी अधिनियम 1955 में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित [illegible]

(सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हमने प्रकरण में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त– मउ व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भू.अभिलेख मउ व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थीगण के प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर भूमि खसरा नम्बर 461 व 473 की मध्य सीमा के सहारे–सहारे चाहा गया है जो प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 468/4749 में पहुँचने के लिए रास्ता भूमि खसरा नम्बर 473 के मध्य से उत्तर–दक्षिण में लम्बाई 73 मीटर व चौड़ाई 3.04 मीटर में कुल क्षेत्रफल 222 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में जा रही हैं। जो पक्की डामर सड़क से लिंक है। ग्राम घाटमदास की बारानी भूमि की डी.एल.सी. दर 9,89,870/– रू. प्रति हैक्टेयर है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों में आने जाने के लिये मौके पर आवेदित रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही होना व मौके पर चाहा गया रास्ता निकटतम व लघुत्तम रास्ता होना पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस से स्पष्टतः प्रकट होता है तथा भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त मउ ने भी प्रार्थीगण की भूमियों में जाने हेतु आवेदित रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं होना अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है। वही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक 3107/राजस्व/2017 दिनांक 14.12.2017 के द्वारा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 468/4749 में पहुँचने के लिए रास्ता भूमि खसरा नम्बर 473 के मध्य से उत्तर–दक्षिण में लम्बाई 73 मीटर व चौड़ाई 3.04 मीटर में कुल क्षेत्रफल 222 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में काम आने तथा पक्की डामर सड़क से लिंक होना अवगत कराया है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदकगण के पास उनके द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अपनी भूमियों में पहुँच का नहीं है। इसलिए आवेदकगण को आवेदित रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा उक्त आवेदित रास्ता के अलावा आवेदकगण की भूमियों के निकटतम व लघुत्तम कोई रास्ता लगने का अन्य कोई विकल्प नहीं है।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के आवागमन हेतु कोई रास्ता मौजूद नहीं होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा [illegible] रिपोर्ट दिनांक 14.12.2017 के संलग्न नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता जो लाल स्याही से दर्शित है [illegible] हमरि [illegible] करते हुए वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी राशि पर रास्ता उपलब्ध [illegible] में कोई एतराज नहीं होने बाबत अवगत कराया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

14/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा भी दौराने प्रकरण की सुनवाई वकुलाय उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में पक्षकारान् प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण से कई बार सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में आपसी समझाईस भी की गई है लेकिन अप्रार्थीगण ने किसी भी सूरत में प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने बाबत अपनी सहमती नहीं दी है तथा ना ही प्रार्थी के लिए वैकल्पिक या लघुत्तम रास्ता होने बाबत ही अवगत कराया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगणों के कृषि जोत के लिए भी उपयुक्त होने से तथा प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी राशि पर रास्ता उपलब्ध कराने में कोई एतराज नहीं होने बाबत अवगत कराने पर वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट दिनांक 14.12.2017 के अनुसार कुल 222 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा लिया जाना उचित हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 462, 463, 468/4749 तन् ग्राम घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियों में आवागमन हेतु कृषि भूमि खसरा नम्बर 473 के मध्य से उत्तर–दक्षिण में लम्बाई 73 मीटर व चौड़ाई 3.04 मीटर में कुल क्षेत्रफल 222 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में काम आने तथा पक्की डामर सड़क से लिंक होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 14.12.2017 में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार कुल 222 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। चूंकि रास्ते में आने वाली भूमियॉ बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमि पर से रहन हजफ किया जावे एंव शेष भूमियों की खातेदारी व रहन बदस्तूर जमाबन्दी रखा जावे। जिसमें रास्ते की चौड़ाई 3.04 मीटर से अधिक न हो एंव इस हेतु प्रार्थीगण से कुल 222 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रतिकर राशि का निर्धारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थीगण से जमा ली जाकर राज्यकोष में जमा ली जाकर राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावें। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम —1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 462, 463, 468/4749 तन् ग्राम घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियों में आवागमन हेतु कृषि भूमि खसरा नम्बर 473 के मध्य से उत्तर—दक्षिण में लम्बाई 73 मीटर व चौड़ाई 3.04 मीटर में कुल क्षेत्रफल 222 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में काम आने में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 14.12.2017 में संलग्न नजरी नक्शा में प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार कुल 222 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियॉं बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों पर दर्ज रहन हजफ किया जावे एंव शेष भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) रहन व खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे। जिसमें रास्ते की चौड़ाई 3.04 मीटर से अधिक न हो एंव इस हेतु प्रार्थीगण से कुल 222 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सड़क पर निकट स्थित भूमियों की असिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थीगण से जमा ली जाकर राज्यकोष में जमा [illegible] तथा राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावें। चूंकि प्रकरण में डी0एल0सी0 दरें वर्ष 01.04.2016 की प्रचलित दरें आई थी। इसके उपरान्त जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा दरे संशोधित हो जाने से वर्तमान वर्ष 2022 में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की प्रति उपलब्ध नहीं होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22

दिलीप सि
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

से गणना नहीं की जा सकी है) तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकित 14.12.2017 के सलंग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

12/05/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/05/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.31 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested